

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 143/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/218

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

- 1.किशनाराम पुत्र खेताराम
- 2.खमादेवी पत्नी राजुराम
- 3.गोभीदेवी पत्नी रिडमलराम
- 4.वगताराम पुत्र रिडमलराम
- 5.चनणीदेवी पत्नी लूंबाराम
- 6.मदनलाल पुत्र लुम्बाराम
- 7.स्वरूपाराम पुत्र लुम्बाराम
- 8.बालुराम पुत्र जुगताराम
- 9.मालाराम पुत्र जुगताराम
- 10.मूलाराम पुत्र नैनाराम
- 11.सोनाराम पुत्र नैनाराम
- 12.हेमाराम पुत्र नैनाराम

जाति जाट

निवासी रावली नाड़ी,रूपजी राजाबेरी,
हाल कुंपलिया, तहसील गिड़ा जिला
बालोतरा

- 1.बाबू पुत्र नेनाराम
- 2.भीखीदेवी पत्नी अचलाराम
- 3.राणा पुत्र पीराराम के कायम मुकाम
- 3/1 खेताराम पुत्र राणाराम
- 3/2 मुकनाराम पुत्र राणाराम
- 4.वगता पुत्र नेनाराम
- 5.सोना पुत्र अचलाराम
- 6.खेता पुत्र दमा
- 7.गंगाराम पुत्र दमा
- 8.भीखीदेवी पत्नी रूपाराम
- 9.भोलाराम पुत्र दमाराम के कायम मुकाम
- 9/1 ओमाराम पुत्र भोलाराम
- 9/2 भल्लाराम पुत्र भोलाराम
- 10.रूपाराम पुत्र दमाराम
- 11.अनु पत्नी प्रहलाद
- 12.कानाराम पुत्र मालाराम
- 13.चुनाराम पुत्र रावताराम
- 14.चैनाराम पुत्र मालाराम
- 15.जैती पत्नी रावता
- 16.टीपु पत्नी खीयाराम
- 17.पपाराम पुत्र रावताराम
- 18.पेम्पो पत्नी मालाराम
- 19.भैराराम पुत्र रावताराम के वारिसान
- 19/1 नाराणाराम पुत्र भैराराम
- 19/2 दलाराम पुत्र भैराराम
- 20.हनुमानराम पुत्र खीयाराम
- 21.हरचंद पुत्र भूराराम
- 22.अचला पुत्र लाधा
- 23.अणदा पुत्र गंगा



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

- 24.ओमा पुत्र गंगा
- 25.केसा पुत्र गंगा
- 26.कानाराम पुत्र लाधा
- 27.खेता पुत्र लखाराम
- 28.चुनाराम पुत्र लाधाराम
- 29.पेमराम पुत्र लाधाराम
- 30.टीपु पत्नी विरधाराम
- 31.सोनी पत्नी गंगाराम
- 32.हनुमान पुत्र विरधाराम
- 33.चुनाराम पुत्र सुजाराम
- 34.नोजी पत्नी सुजाराम
- 35.खमादेवी पत्नी भैराराम
- 36.गुणेशा पुत्र मोतीराम
- 37.तारोदेवी पत्नी मोतीराम
- 38.बाबूराम पुत्र वेहनाराम
- 39.रामाराम पुत्र भैराराम नाबालिग जरीए
कुदरती वली माता विप्रार्थी संख्या 26
खम्मा देवी पत्नी भैराराम जाति जाट
निवासी सारणों की बेरी, तहसील
पचपदरा
- 40.लूंबाराम पुत्र मोतीराम
- 41.रतनाराम पुत्र भैराराम
- 42.कुम्भाराम पुत्र प्रभुराम
- 43.भोमाराम पुत्र धन्नाराम
- 44.रूपाराम पुत्र ईसराराम
जाति जाट निवासी मेहराज की बेरी,
तहसील पचपदरा
- 45.सोना बाई पत्नी वागसिंह के कायम
मुकाम
- 45/1 प्रेमसिंह गोदपुत्र के कायम मुकाम
- 45/1/1 भोमसिंह पुत्र प्रेमसिंह
- 45/1/2 देवीसिंह पुत्र प्रेमसिंह
- 45/1/3 कंवरराज पुत्र प्रेमसिंह
- 45/1/4 प्रेमकंवर पत्नी प्रेमसिंह
जाति-राजपूत निवासी रावली नाड़ी



रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा
46.सरपंच ग्राम पंचायत रूपजी राजा बेरी
47.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार
पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री रुधाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश


दिनांक 20/9/24

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रावली नाड़ी,पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा की प्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 की खेत खसरा संख्या 848/177 क्षेत्रफल 15.5399 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 03 ता 04 की खेत खसरा संख्या 849/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 05 ता 07 की खेत खसरा संख्या 853/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 08 ता 09 की खेत खसरा संख्या 850/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण संख्या 10 ता 12 की खेत खसरा संख्या 851/177 क्षेत्रफल 9.0326 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है और आये



जिस सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रावली नाड़ी, पटवार साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा की प्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 की खेत खसरा संख्या 848/177 क्षेत्रफल 15.5399 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 03 ता 04 की खेत खसरा संख्या 849/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 05 ता 07 की खेत खसरा संख्या 853/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 08 ता 09 की खेत खसरा संख्या 850/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 10 ता 12 की खेत खसरा संख्या 851/177 क्षेत्रफल 9.0326 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।


2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रावली नाड़ी, पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा की प्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 की खेत खसरा संख्या 848/177 क्षेत्रफल 15.5399 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 03 ता 04 की खेत खसरा संख्या 849/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 05 ता 07 की खेत खसरा संख्या 853/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 08 ता 09 की खेत खसरा संख्या 850/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 10 ता 12 की खेत खसरा संख्या 851/177 क्षेत्रफल 9.0326 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। अन्तः मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रावली नाड़ी, पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा की प्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 की खेत खसरा संख्या 848/177 क्षेत्रफल 15.5399 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 03 ता 04 की खेत खसरा संख्या 849/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 05 ता 07 की खेत खसरा संख्या 853/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 08 ता 09 की खेत खसरा संख्या 850/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 10 ता 12 की खेत खसरा संख्या 851/177 क्षेत्रफल 9.0326 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट्स व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रावली नाड़ी, पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा की प्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 की खेत खसरा संख्या 848/177 क्षेत्रफल 15.5399 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 03 ता 04 की खेत खसरा संख्या 849/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 05 ता 07 की खेत खसरा संख्या 853/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 08 ता 09 की खेत खसरा संख्या 850/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 10 ता 12 की खेत खसरा संख्या 851/177 क्षेत्रफल 9.0326 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानों की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)


उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 05.4.2023 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानों के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। प्रार्थीगण अधिकता अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पाटोदी को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रावली नाड़ी,पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पाटोदी की प्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 की खेत खसरा संख्या 848/177 क्षेत्रफल 15.5399 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 03 ता 04 की खेत खसरा संख्या 849/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 05 ता 07 की खेत खसरा संख्या 853/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 08 ता 09 की खेत खसरा संख्या 850/177 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 10 ता 12 की खेत खसरा संख्या 851/177 क्षेत्रफल 9.0326 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिए सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।




(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20.9.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा